17/05/2023

पत्रावली आज दिनांक को मंहगाई राहत कैम्प (प्रशासन गांवों के संग अभियान)-2023 में कैम्प स्थल बड़ौदिया ग्राम पंचायत परिसर में पेश हुई। अप्रार्थी पेशकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा ने पत्रावली में No-objection प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी किए जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित हो प्रा० पत्र पर पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा० पत्र धारा-128 रा०लै०रे० एक्ट का स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर प्रा० पत्र धारा-128 का निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2023.08.22 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी: श्री दीपक सिंह खटाना RAS, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या प्रा.प्र/16/2023 दिनांक 13/02/2023

1. रामगोपाल पुत्र नारायण मीणा नि. बड़ोदिया .... प्रार्थी

विरूद्व

1. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा
2. ....

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 17/05/2023

–:आदेश:–

पत्रावली आज दिनांक 17/05/2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के तहत ग्राम पंचायत बड़ोदिया में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि मौजा ग्राम बड़ोदिया पटवार हल्का बड़ोदिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 ...... दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 229 आराजी न. 167/773 कुल किता 1 रकबा 2-43 .... कुल रकबा 2-43 है० लगानी 12-15 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि पड़ौसी खातेदार आये दिन मेड आदी तोड देते है, तथा घास आदी को काटने पर विवाद होता रहता हैं। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

अत: तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा ग्राम बड़ोदिया पटवार हल्का बड़ोदिया तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतौनी संख्या 229 आराजी न. 167/773 कुल किता 1 रकबा 2-43 .... कुल रकबा 2-43 है० लगानी 12-15 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगडी की जावे। एवं पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर ... जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2023.08.22 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी / Sub Divisional Magistrate
रावतभाटा / RAWATBHATA, Distt.-Chittorgarh

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)